

अध्याय कं.	विषय-वस्तु	पृष्ठ संख्या
1	2	3
1.	प्रस्तावना	1
2.	जिला शहरी विकास अभिकरण,कार्यालय की विशिष्टियां कृत्य एवं कर्तव्य	13
3.	अधिकारियों एवं कर्मचारियों शक्तियां एवं कर्तव्य	5
4.	कृत्यों के निर्वहन हेतु नियम,विनियम,अनुदेश,निर्देशिका और अभिलेख	6
5.	नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जनप्रतिनिधि से परामर्श के लिए बनाई गई व्यवस्था का विवरण	6
6.	लोक प्राधिकारी के पास या उनके नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों का प्रवर्गों के अनुसार विवरण	7
7.	बोर्ड परिषदों समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण	8
8.	लोक सहायक सूचना अधिकारी,लोक सूचना अधिकारी एवं अपिलेट अधिकारियों का विवरण	13
9.	निर्णय लेने की प्रक्रिया	9
10.	अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका	9
11.	अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक परिश्रमिक और उनके निर्धारण की पद्धति	10
12.	प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट	11
13.	अनुदान/ राजसहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति	12
14.	रियायतों अनुज्ञा-पत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के संबंध में विवरण	11 व 12
15.	कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मानक/नियम	13
16.	इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचनाएँ	13 से 24
17.	सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण अन्य उपयोगी जानकारियां	

(2)

कार्यालय जिला शहरी विकास अभिकरण, राजगढ़ (ब्यावरा) म0प्र0प्रस्तावना

लोकतंत्र में शासन जनता का होता है, और उसे जनता के लिए जनता के द्वारा संचालित किया जाता है। भारतीय संविधान सहभागी लोकतंत्र के सिद्धान्त पर आधारित है। शासन व्यवस्था में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिये नागरिकों द्वारा चुनाव के माध्यम से प्रतिनिधि का चयन किया जाता है। संविधान की यह मान्यता है कि, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि की इच्छा व आकांक्षा के अनुरूप संविधान सम्मत शासन का संचालन व नीतियों का निर्धारण इस प्रकार हो कि, प्रत्येक व्यक्ति को उसकी अधिकतम लाभ प्राप्त हो सकें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये शासन को हर स्तर पर जनता के प्रति जवाबदेह होना आवश्यक है। यह तभी संभव है, जब नागरिकों को शासन व उसके अधीन समस्त प्रशासनिक इकाइयों के क्रिया कलापों की दैनिक सारी सूचनाओं को प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त हो, जो उनसे जुड़ी है, या जो जनहित में आवश्यक हो। केन्द्र शासन द्वारा द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 प्रभावशील किया गया है।

जिला शहरी विकास अभिकरण, राजगढ़ म.प्र. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अन्तर्गत पंजीकृत समिति है। एवं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक लोक प्राधिकारी है। अभिकरण के कार्य एवं कर्तव्य नागरिकों से जुड़े हुये हैं। अतः नागरिकों के नगर व नागरिकों के लिये निर्धारित की जाने वाली निति स्वीकृत योजनाये अभिकरण व उसके अधिकारियों व कर्मचारियों के अधिकार व कर्तव्य तथा कार्य प्रणाली की समग्र जानकारी नागरिकों को एक स्थान पर प्राप्त हो सके इसी उद्देश्य से अधिनियम की धारा - 4 में वर्णित समस्त जानकारी समाहित करते हुये यह हस्त पुस्तिका तैयार की गयी है।

(3)

कार्यालय जिला शहरी विकास अभिकरण, राजगढ़ (ब्यावरा) म0प्र0जन सामान्य के अवलोकनार्थ 17 बिन्दुओं की जानकारी ।

अध्याय – 1


संगठन की विशिष्टियां कृत्य एवं कर्तव्य

जिला शहरी विकास अभिकरण, मध्य प्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अन्तर्गत पंजीकृत समिति है। जिला शहरी विकास अभिकरण, राजगढ़ की स्थापना 3 मार्च 1992 में की गयी। अभिकरण के मुख्य कर्तव्य एवं कार्यों का विवरण निम्नानुसार हैं।

(अ) अभिकरण के कर्तव्य :-

1. राज्य शासन, केन्द्र शासन अन्य संस्था या अन्तराष्ट्रीय सहयोग से ली जाने वाली विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये जिला नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना ।
2. नगरीय कल्याण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं तथा नेहरू रोजगार योजना ,यू.बी.एस.पी.कार्यक्रम , झुग्गी-झोपडी क्षेत्रों में पर्यावरण सुधार, भंगी मुक्ति योजना, मेहनत कश परिवारों के लिये समूह बीमा योजना, फैंसिंग योजना, झुग्गी – झोपडी वासियों (अस्थाई पट्टाधारियों) का पुर्नस्थापना, रैन बसैरा, दुलार योजना आदि की क्रियान्वयन पयवेक्षण व्यवस्था करना ।
3. कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में गरीब वर्ग को सामुदायिक तौर पर संगठित करने की उनकी भागीदारी प्राप्त करना ।
4. स्वयं सेवी संगठनों से कोलाबरेशन कर हितग्राहियों में स्वावलंबन की भावना जागृत करना ।
5. विभिन्न विकास एवं कल्याण कार्यक्रमों में समन्वय लाना उनका पर्यवेक्षण करना तथा उचित प्राथमिकता क्रम का निर्धारण करना ।

(ब) संगठनात्मक ढांचा :-



(4)

कार्यालय के विभिन्न शाखा का दायित्व एवं कार्य :-

शाखा	अधिकारी / कर्मचारी का पद नाम	दायित्व
1	2	3
सामान्य शाखा	परियोजना अधिकारी	कार्यलीन प्रशासन पर नियंत्रण/योजनाओं की समीक्षा/पर्वक्षण एवं कलेक्टर के मार्गदर्शन में कार्य करना एवं काग्र विभाजन पत्रव्यवहार, अधिकारी/कर्मचारियों की उपस्थिति ।
स्थापना शाखा	सहायक परियोजना अधिकारी	स्थापना शाखा से संबंधित समस्त कार्य सेवा पुस्तिका का संधरण कार्य ।
लेखा शाखा	सहायक परियोजना अधिकारी	कनिष्ठ लेखा अधिकारी का पद रिक्त होने से लेखा शाखा का समस्त कार्य जैसे ऋण एवं अनुदान से प्राप्त समस्त राशियों का लेखाओं का संधरण एवं लेखाओं को अंकेक्षण प्रतिवेदनों को निराकरण, अभिकरण द्वारा किये जाने वाले समस्त भुगतानों की जाँच करना एवं सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर भुगतान करना एवं अधिकारी एवं कर्मचारियों को वेतन भत्ते कार्य संबंधी सभी कार्य ।
योजना संबंधी	भृत्य	योजना हितग्राही मूलक नस्ती तैयार करना एवं प्रस्तुत करना / कम्प्यूटर पर टाईपिंग कार्य
आवक जावक शाखा	भृत्य	आवक जावक कार्य एवं भृत्य का कार्य ।

(5)

अध्याय – 2**कार्यालय में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी कार्य व शक्तियाँ :-**

अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पद	कर्तव्य	शक्तियाँ
1	2	3	4
जी.पी.तिवारी,	अध्यक्ष	समिति के बैठकों की अध्यक्षता करना वित्तीय एवं कार्यपालक प्रशासक पर निगरानी से संबंधित समस्त कार्यो को पर्वक्षण एवं परियोजना अधिकारी,का अवकाश स्वीकृत करना आदि	50,000 / –रूपयें से अधिक प्रशासकीय एवं वित्तीय शक्तियाँ ।
अरविन्द कपूर	परियोजना अधिकारी	कार्यालय के सामान्य प्रशासन पर नियंत्रण योजनाओं का पर्वक्षण/समीक्षा एवं समिति के अध्यक्ष के निर्देशन में कार्य संपादित करना	50,000 / – रूपयें तक प्रशासकीय एवं वित्तीय
बाल कृष्ण कर्पे ।	सहा0परियोजना अधिकारी	योजनाओं का पर्वक्षण स्थापना शाखा/लेखा शाखा के समस्त कार्य ।	–
दिलीप राणा	सहा.ग्रेड – 3	आवक – जावक	
रामेश्वर शर्मा	भृत्य	लिपिकिय कार्य एव कम्प्यूटर पर टाईपिंग कार्य	–
हेमराज	भृत्य	साफ-सफाई तामिली एवं समय समय पर सौपे गये कार्य	–
गोकुल प्रसाद यादव	भृत्य	भृत्य संबंधी कार्य एवं नकल सेक्शन का कार्य	–

(6)

अध्याय – 3

विनिश्चय / निर्णय किये जाने के प्रक्रम में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और निगरानी/पर्यवेक्षण तथा जवाबदेही के माध्यम और सारणी ।

प्रेषककर्ता :- परियोजना अधिकारी,

निर्णयकर्ता :- कलेक्टर एवं अध्यक्ष

लिपिक -> सहा.परि.अधि.-> परि.अधि. -> कलेक्टर -> आयुक्त -> शासन एवं जनता

अध्याय – 4

कार्यालय के द्वारा समय सीमा में कार्य निपटने संबंधी मापदण्ड तय करने बाबत ।

(क) हितग्राही मूलक प्रकरणों में बैक से मांग पत्र प्राप्त होने पर 15 दिवस में अनुदान राशि बैक को प्रदाय करना शेष कार्यो का निपटारा जिला प्रशासन के मापदण्ड अनुसार एवं सिटीजन चार्टर ।

(ख) कार्यालयीन कार्यो का वर्ष के निर्धारण/लक्ष्य

1. हितग्राही मूलक लक्ष्य :- वित्तीय वर्ष की शत प्रतिशत
2. योजना कार्यो के लिये :- अंकित समय सीमा ।
3. निर्माण कार्य :- शतप्रतिशत ।

अध्याय – 5

कार्यालय में उपयोग होने वाले उपलब्ध अधिनियम, नियम, रेगुलेपन, मैनुअल

1. नगर पालिका अधिनियम – 1961
2. स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की निर्देशिका
3. सामुदायिक संगठनों की निर्देशिका
4. सरकुलर समय-समय पर शासन द्वारा जारी सरकुलर के आधार पर अभिकरण के कार्यो का संपादन किया जाता है ।

अध्याय – 6**(अ) संधारित अभिलेखों की सूची एवं दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण ।**

कं.	दस्तावेज का नाम	दस्तावेज का सुरूर	समाहित जानकारी	दस्तावेज की समयावधि
1	2	3	4	5
1.	कार्यवृत्त पुस्तिका	रजिस्टर	बैठक कार्यवृत्त	नस्ट नहीं की जाती
2.	(का) शासी निकाय (ख) नगरीय विकास उप समिति	रजिस्टर	बैठक कार्यवृत्त	" "
3.	लेखापाल रोकड़ियां	रोकड़ियां	जमा राशि आय – व्यय	वर्ष 1992
4.	लेजर बुक	रजिस्टर	खातावार आय-व्यय	" "
5.	आवक जावक	रजिस्टर	प्राप्त होने वाले एवं भेजे जाने वाले पत्रों का विवरण	" "
6.	वेतन पत्रक	पत्रक	वेतन वितरण संबंधी जानकारी	" "
7.	स्टाक एवं भाड़ा पंजी	रजिस्टर	क्रय की गयी सामग्री का विवरण	
8.	उपस्थित पंजी	रजिस्टर	अधिकारी/कर्मचारी की हाजरी का विवरण	
9.	भऊचर	नस्ती	बिल भुगतान	

(ब) नस्ती :-

1. स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना आवंटन/अनुदान नस्ती
2. स्वर्ण जयंती शहरी मजदूरी आवंटन/अनुदान नस्ती
3. प्रशिक्षण कार्य संबंधी नस्ती
4. वाऊचर नस्ती
5. राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम (एन.एस.डी.पी.)आवंटन/अनुदान नस्ती
6. वक्तिगत ऋण एवं महिला एवं बच्चों का विकास कार्यक्रम ऋण समूह अनुदान आवंटन नस्ती ।
7. महिला बचत साख समूह आवंटन/अनुदान नस्ती निकायवार
8. अधोसंरचनात्मक मद निर्माण/आवंटन नस्ती
9. विविध शिकायतों संबंधी नस्ती
10. अयोध्या बस्ती योजना संबंधी नस्ती

अध्याय – 7**नगरीय विकास उप समिति की संरचना :-**

क	नाम	पद	आदेश क्रमांक व दिनांक	कर्तव्य एवं दायित्व	सरकुलर निर्माण संबंधी
1	2	3	4	5	6
1	श्री नाथ जुलानियां	पीठासीन अधिकारी	938 25-07-05	योजना की समीक्षा करना सुझाव देना प्रस्तावों पर विचार करना	स्वर्ण जयंती शहरी मजदूरी रोजगार योजना से संबंधित निर्माण संबंधी सरकुलर 60 : 40 का अनुपात सामग्री एवं मजदूरी ।
2	श्रीमती पुष्पा बाई यादव	सदस्य			“
3	श्री ज्ञान सिंह गुर्जर	सदस्य			
4	श्रीमती मोना सुस्तानी	सदस्य			
5	श्रीमती बल्लभ बाई	सदस्य			

अध्याय – 8

- (1) मध्य प्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अन्तर्गत पंजीकृत जिला शहरी विकास अभिकरण,के संचालन

संरचना :-

1. कलेक्टर पदेन अध्यक्ष
 2. विभिन्न विभागों के जिला स्तर अधिकारी/प्राधिकारी/सुधार न्यास/विकास प्राधिकरण के अधिकारी
 3. नगर पालिकाओं के अध्यक्ष/मुख्य नगर पालिका अधिकारी/बैंकों के प्रतिनिधि /औधौगिक प्रशिक्षण संस्था के प्रार्चाय –सदस्य
 4. नगरीय क्षेत्र के गरीबों कि भलाई में लगी अर्शासकीय संस्था का एक प्रतिनिधि – सदस्य
 5. एक प्रमुख सामाजिक महिला कार्यकर्ता – सदस्य
 6. अनुसूचित जाति तथा जन जाति का एक-एक प्रतिनिधि – सदस्य
परियोजना अधिकारी – सचिव एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी के साथ में कार्य करेंगे ।
- (2)
1. बैठक आहूत संबंधी शासन के निर्देश संलग्न है ।
 2. कार्यवाही विवरण उपलब्ध है ।
 3. शेष अभिकरण से संबंधित नहीं ।

(9)

अध्याय – 9

कार्यालय में कार्यरत समस्त अधिकारी / कर्मचारियों नियोजितों की निर्देशिका

अ.क्र.	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पद नाम	पता	फोन नं.
1	2	3	4	5
1.	अरविन्द कपूर	परियोजना अधिकारी	पुराना कलेक्टेट कालोनी राजगढ़	आफिस 255274 निवास 255240
2.	बाल कृष्ण कर्पे	सहायक परियोजना अधिकारी	इन्दिरा कालोनी, राजगढ़	निवास 255093
3.	दिलीप राणा	सहा.ग्रेड – 3	नेस मोहल्ला पुरा	94254,22947
4.	रामेभवर शर्मा	भृत्य	पुरा राजगढ़	9425423438 254510 पी.पी.
5.	हेमराज	भृत्य	पुरा राजगढ़	
6.	गोकुल प्रसाद यादव,	भृत्य	पुरा राजगढ़	

अध्याय – 10

प्राधिकारी के अधिकारियों / कर्मचारियों का परिश्रमिक वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधायें

अ. क्र.	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पद नाम	मासिक वेतन + मँहगाई	विनियमों के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति ग्रह भाड़ा मेडीकल योग भत्ता			वेतनमान
1	2	3	4				
1.	अरविन्द कपूर	परियोजना अधिकारी	13447 /	—	—	13447	8000— 12000
2.	बाल कृष्ण कर्पे	सहायक परियोजना अधिकारी	10434 /	359 /—	—	10793 /	5000— 8000
3.	रामे वर शर्मा	भृत्य	2421 /—		—	2421	2421
4.	दिलीप राणा	सहा.ग्रेड – 3	4500 /—			4500 /	4500 /
5.	हेमराज	भृत्य	4000 /—		—	4000 /	2550 — 3260
6.	गोकुल प्रसाद यादव	भृत्य	4000 /—		—	4000 /	2550 — 3260

(10)

अध्याय – 11कार्यालय के लिये मदवार बजट एवं आवंटन :-

(अ)

अ.क्र.	शीर्ष	उपशीर्ष	वर्ष 2004-05	प्रावधान आय-व्यय	वास्तविक आय - व्यय	उपयोग का समान विवरण
1	2	3	4	5	6	
	प्रशासकीय व्यय	—	“ ”	10.36	8.21	स्टाफ का वेतन, यात्रा
						भत्ता, कार्यालय संचालन
						संबंधी व्यय जैसे
						विधुत, स्टेशनरी, वाहन आदि पर व्यय

(ब) स्वीकृत कार्य एवं योजनाएँ वर्ष 2004-2005

अ.क्र.	योजना या कार्य का नाम	कुल प्राक्कलन	कुल स्वीकृत राशि	व्यय
1	2	3	4	5
1.	राष्ट्रीय गंदी बस्ती कार्यक्रम	22.32 लाख	22.32 लाख	22.32 लाख
2.	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना ।	संलग्न है।	परिशिष्ट -	

अध्याय – 12

अनुदान के परियोजना प्रोग्रामों के क्रियान्वयन की रीति और आवंटित राशि व्यय एवं हितग्राहियों की संख्या ।

अ. क्र.	परियोजना का नाम	हितग्राहियों के चयन का आधार	प्रशासनिक विभाग	वर्ष 2004-05	प्राप्त आवंटन	व्यय	हितग्राहियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना	परिशिष्ट - संलग्न	राष्ट्रीकृत बैंक - 22	—	21.88 लाख	19.00 लाख	352

नोट :- योजनावार विस्तृत विवरण परिशिष्ट - संलग्न

(11)

1. संचालित कार्यक्रमों की सूची

हितग्राहियों के चयन की प्राक्रियां निम्नानुसार है।

(अ) शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम :-

1. शहरी गरीबी रेखा के लिये निर्धारित शहरी बेरोजगारों के लिये व्यक्तिगत ऋण एवं महिला समूह ऋण योजना है।
आवेदक/आवेदिका द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र के साथ निम्न लिखित प्रपत्रों की प्रतियाँ संलग्न की जाना है। :-
1 गरीबी रेखा व सर्वे क्रमांक एवं प्रमाण पत्र ।
1. आवेदक/आवेदिका के राशन कार्ड की प्रति अथवा ऐसा कोई प्रमाण पत्र जो यह दर्शाता हो की आवेदक/आवेदिका संबंधी क्षेत्र/स्थान पर पिछले तीन वर्ष से निवास कर रहा/कर रही है।
शैक्षणिक योग्यता तथा तकनीकी योग्यता (यदि कोई हो तो) से संबंधी प्रमाण पत्र की प्रति ।
2. घोषणा पत्र निर्धारित दिये गये प्रारूप में प्रमाणित करे ।
3. अनुसूचित जाति/जन जाति/पिछड़े वर्ग के आवेदकों के संदर्भ में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित जाति प्रमाण पत्र की प्रति ।
4. उधमी/उधमियों के दो पासपोर्ट साईज के फोटो ग्राफ जो सक्षम अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित हो ।
5. विकलांग व्यक्ति को विकलांगता का डॉ द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र ।
6. उधमी का स्वयं का पता लिखे हुए दो पोस्ट कार्ड ।
उपरोक्त पूर्तियों के बाद नगरपालिका/ नगर पंचायत के आवेदन प्राप्त करना होता है।

(2) आवेदन पत्रों का परीक्षण :-

प्रत्येक नगरीय निकाय स्तर पर टार्सस फोर्स समिति गठित है। जिसके अध्यक्ष नगरीय निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी है तथा बैंक के प्रतिनिधि तथा लीड बैंक के प्रतिनिधि, परियोजना अधिकारी, शहरी विकास अभिकरण, सदस्य है।
आवेदनों का परीक्षण करने के उपरांत उपयुक्त पाये जाने वाले प्रकरण अनुशासित कर बैंकों की संबंधित शाखाओं में प्रस्तुत किये जाते है।

- (3) बैंक द्वारा ऋण सवीकृत करने पर हितग्राहीओं को अधिकतम 7500/ सवसीड़ी अथवा परियोजना का लागत का 15 प्रतिशत की दर से अनुदान/ सवसीड़ी प्राप्त करने की पात्रता होगी ।

- (4) महिला एवं बच्चों का विकास कार्यक्रम अन्तर्गत महिला समूह में कम से कम 10 महिला होनी चाहियें समूह को अनुदान के तौर पर अधिकतम (अनुदान) सवसीड़ी रूपयें 1.25 लाख तक राशि या परियोजना लागत का 50 प्रतिशत जो भी कम हो प्राप्त करने की पात्रता है। समूह के सदस्य महिलाओं को मार्जिन राशि के तौर पर परियोजना लागत का 5 प्रतिशत राशि लगानी होती है 45 प्रतिशत बैंक से ऋण के रूप में उपलब्ध करायी जाती है।

(12)

(5) बचत साख समूह :-

स्व-सहायता समूह कम से कम 10 महिलाओं का वह समूह जिसका गठन गरीबी की समस्याओं से निपटने के लिये होता है।

समूह का मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों का उनकी तत्कालिक जरूरतों की पूर्ति के लिये तथा आमदनी बढ़ाने हेतु छोटे मोटे व्यवसाय शुरू करने के लिये ऋण सुलभ कराना है/ऋण समूह स्वयं बनाये गये नियमों के आधार पर उपलब्ध कराये जाते हैं। सदस्य के खाते में जमा राशि के तीन गुणा राशि तक का ऋण स्वीकृत किया जाता है

शासकीय सहायता :-

ऐसा बचत एवं साख समूह जो एक वर्ष से सक्रियता से कार्य कर रहा है शासन (जिला शहरी विकास अभिकरण के माध्यम से) रूपयें 1000/- प्रति सदस्य के मान से अधिकतम रूपयें 0.25 लाख तक की सहायता प्राप्त करने का पात्र होता है। यह राशि आवर्ती निधि कहलाती है।

जिले में गठित बचत साख समिति का पत्रक संलग्न है।

(अ) वित्तीय संस्थाओं की सूची निम्नानुसार है :-

शहरी क्षेत्रों में स्थित समस्त राष्ट्रीकृत बैंक शाखाओं द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है। जिले में नगरीय क्षेत्रों में कुल 22 राष्ट्रीकृत बैंकों की शाखाएँ हैं।

(ब) वर्ष वार आवंटित राशि तथा हितग्राहियों की संख्या निम्नानुसार है।

अ.क.	वर्ष	प्रदाय अनुदान राशि	लाभांवित हितग्राहियों की संख्या
1	2	3	4
1.	1997 - 1998	5.35 लाख	157
2.	1998 - 1999	14.45	472
3.	1999 - 2000	5.36	149
4.	2000 - 2001	10.18	243
5.	2001 - 2002	3.47	70
6.	2002 - 2003	2.83	69
7.	2003 - 2004	2.07	40
8.	2004 - 2005	4.14	80

अध्याय - 13

वास्तविक हितग्राहियों की सूची एवं प्राप्त सुविधाएँ :- प्रत्येक नगरीय निकायों में उपलब्ध होगी।

अध्याय - 14

कार्यालय में उपलब्ध जानकारियों की सूची

(13)

अध्याय – 15

नागरिकों को सूचना प्राप्त करने के लिये प्रारंभ सुविधाएँ –

अ.क्र.	सुविधा	प्रभारी का नाम	सूचना प्राप्ति का समय	टेलीफोन नं.
1	2	3	4	5
1.	काउन्टर	श्री बी.के.कर्पे,	प्रातः 12 बजे से सायं 3 बजे तक	255274

अध्याय – 16

लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी, अपीलीय अधिकारी

क्र.	नाम	पदनाम	टेलीफोन नं.	ई-मेल पता	कार्यालय पता	मिलने का समय	रि.
1	2	3	4	5	6	7	
1.	अरविन्द कपूर	परियोजना अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी)	255274	—	जिला शहरी विकास अभिकरण, कलेक्ट्रेट कक्ष कमांक-125	12 से 3 बजे तक कार्यालयीन दिवस	
2.	बी.के.कर्पे	सहायक परियोजना अधिकारी (सहायक लोक सूचना अधिकारी)	255274	—	“ ”	“ ”	
3.	जी.पी.तिवारी	कलेक्टर (अपीलीय अधिकारी)	कार्यालय 255025	255067 फेक्स	कलेक्टोरेट राजगढ़	—	

(14)

अध्याय – 17**अन्य प्रासंगिक जानकारी :-**

1. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत कोई भी नागरिक अभिकरण द्वारा नियुक्त लोक सूचना अधिकारी को विहित प्रारूप में आवेदन कर सकेगा । आवेदन फार्म लोक सूचना अधिकारी से सशुल्क/निशुल्क प्राप्त किया जा सकता है ।
2. अभिकरण द्वारा संचालित योजनाओं में सुधार के लिये नागरिकों के रचनात्मक प्रस्ताव व सुझाव की बझना करना/पंजी में सुझाव अंकित करना ।
3. अभिकरण के बैठको की कायवृत आम नागरिकों की जानकारी अवलोकन हेतु कार्यालय में निशुल्क निरीक्षण कर सकते है ।

(15)

जिला शहरी विकास अभिकरण द्वारा संचालित योजनाएँ की सूची – परिशिष्ट –

जिला शहरी विकास अभिकरण,द्वारा नगरीय निकायों के माध्यम से निम्नानुसार योजनाएँ संचालित की जाती है।

- (अ) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना ।
- (ब) राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम (एन.एस.डी.पी.) ।
- (स) पर्यावरण सुधार योजना ।

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना :- इस योजना के निम्नानुसार घटक है।

1. शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम ऋण व अनुदान
2. शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम – प्रशिक्षण
3. महिला एवं बच्चों का विकास कार्यक्रम – महिला समूह ऋण
4. महिला बचत साख समूहों का निर्माण एवं उन्हें रिवाल्विंग फण्ड का प्रदान
5. अधोसंरचना स्व-सहायता सेवा केन्द्रों की स्थापना

राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम :-

यह योजना केन्द्र शासन की योजना है एवं नगर पालिका क्षेत्रों में लागू है, जिले मे 3 नगर पालिका क्षेत्र है। (1) ब्यावरा (2) नरसिंहगढ़ (3) सारंगपुर योजना अन्तर्गत घोषित गंदी बस्ती क्षेत्रों मे मूलभूत सुविधाएँ जैसे पेयजल,प्रकाश,सड़क,नाली आदि सुविधाएँ मुहैया कराने हेतु राशि प्रदाय की जाती है।

पर्यावरण सुधार योजना :-

यह योजना नगर पंचायत क्षेत्रों मे लागू है जिले में 10 नगर पंचायत क्षेत्र है योजना अन्तर्गत घोषित गंदी बस्ती क्षेत्रों में पेयजल,प्रकाश,सड़क,नाली आदि सुविधाएँ मुहैया कराई जाती है ।

अयोध्या बस्ती योजना :-

प्रत्येक नगरीय क्षेत्रों मे एक बस्ती को अयोध्या बस्ती के नाम से चयन कर घोषित किया गया है निकायवार बस्ती का नाम,वार्ड,वर्तमान तक किये गये कार्यों की सूची संलग्न है।

(16)

अयोध्या बस्तियों में स्वीकृत कार्यों का विवरण ।

अ.क्र.	निकाय का नाम	प्रदाय राशि	स्वीकृत कार्यों की संख्या	कार्य का प्रकार
1	2	3		4
1.	न.प. राजगढ़	79,000	1	नाली निर्माण कार्य ।
2.	न.प. खुजनेर	47,000	1	सीमेंट कांकरीट सड़क निर्माण ।
3.	न.पा. ब्यावरा	3,72,000	5	सीमेंट कांकरीट सड़क निर्माण नाली एवं सी.सी.सड़क निर्माण
4.	न.प. सुठालियां	43,000	1	यूशेप नाली निर्माण कार्य ।
5.	न.प. खिलचीपुर	60,500	2	हूमपाईप पुलियां निर्माण एवं सी.सी.सड़क
6.	न.प. जीरापुर	64,000	1	नाली निर्माण कार्य ।
7.	न.प. माचलपुर	44,000	1	सी.सी.सड़क निर्माण कार्य ।
8.	न.प. छापीहेड़ा	43,000	1	नाली निर्माण कार्य ।
9.	न.पा. सारंगपुर	3,72,000	4	सी.सी.सड़क निर्माण कार्य एवं नाली निर्माण कार्य ।
10.	न.प. पचोर	72,500	1	यूशेप नाली निर्माण कार्य ।
11.	न.पा. नरसिंहगढ़	3,72,000	3	सी.सी.सड़क निर्माण,नाली निर्माण एवं प्रकाश व्यवस्था ।
12.	न.प. बोड़ा	46,000	1	सी.सी.सड़क निर्माण एवं प्रकाश व्यवस्था
13.	न.प. तलेन	47,000	1	सी.सी.सड़क निर्माण कार्य ।
	योग :-	16,62,000	23	

(17)

परिशिष्ट –

- (1) राश्ट्रीय गन्दी बस्ती योजना अन्तर्गत निकायों को प्रदाय आवंटन व्यय संबंधी । **प्रथम**
- (2) स्वर्ण जयंती योजना अन्तर्गत प्रदाय आवंटन व्यय संबंधी ।
- (3) पर्यावरण सुधार योजना के अन्तर्गत आवंटन व्यय संबंधी । **(हार्ड एवं साफ्ट कांपी)**
 1. हितग्रीह मूलक योजना की लाभांवित सूची ----- द्वितीय श्रेणी
- (1)** मध्य प्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अन्तर्गत पंजीकृत जिला शहरी विकास अभिकरण,के संचालन

(18)

जिला अन्तर्गत निकायों में सर्वेक्षित परिवारों की स्थिति ।

अ.क्र.	निकाय का नाम	जन संख्या वर्ष 2001	शहरी गरीब परिवारों की संख्या
1	2	3	4
1.	न.पं. राजगढ़	23,937	2,866
2	न.पं. खुजनेर	9,281	1,698
3	न.पा. ब्यावरा	37,925	4,511
4	न.पं. सुठालियां	7,600	1,402
5	न.पा. नरसिंहगढ़	27,723	4,054
6	न.पं. तलेन	9,089	909
7	न.पं. बोड़ा	8,510	1,303
8	न.पा. सारंगपुर	32,294	5,164
9	न.पं. पचोर	20,939	2,646
10	न.पं. खिलचीपुर	15,317	2,038
11	न.पं. जीरापुर	16,822	2,544
12	न.पं. माचलपुर	7,885	1,611
13	न.पं. छापीहेड़ा	7,098	अभी सर्वे नहीं हुआ है।
	योग :-	2,24,420	31,346

(19)

कार्यालय जिला शहरी विकास अभिकरण राजगढ़अभिकरण में संधारित पंजियों का विवरण ।

अ.क्र.	पंजी का नाम	अवधि वर्ष
1	2	3
1.	नेहरू रोजगार योजना लेजर एवं केशबुक	वर्ष 1992-93 से 1997-98 तक
2.	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना लेजर एवं केशबुक	वर्ष 1997-98 से 2004-05 तक
3.	आवक एवं जावक पंजी	वर्ष 1993 से वष्र 2005 तक
4.	उपस्थिति पंजी	वर्ष 1993 से 2005 तक
5.	पोस्टेज स्टेप पंजी	वर्ष 1993 से 2005 तक
6.	स्टाक पंजी	वर्ष 1993 से 2005 तक
7.	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना निकायों को निर्माण कार्यो हेतु जारी प्रशासकीय स्वीकृति की पंजी	वर्ष 1997 से 2005 तक
8.	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना बैकवार जारी अनुदान पंजी	वर्ष 1997 से 2005
9.	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना गठित बचत एवं साख समूहों तथा महिला एवं बच्चो का विकास कार्यक्रम अन्तर्गत गठित समूहों एवं प्रदाय राशि की पंजी ।	वर्ष 2000 से 2005
10.	पर्यावरण सुधार एवं राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण कार्यो हेतु निकायों को जारी प्रशासकीय स्वीकृति की पंजी	वर्ष 1995 से 2005 तक

(20)

अभिकरण में संधारित नस्तियों का विवरण ।

अ.क्र.	नस्तियों का नाम	अवधि वर्ष
1	2	3
1.	नेहरू रोजगार योजना अन्तर्गत बैंकों को प्रदाय अनुदान राशि की नस्ती	वर्षवार नस्तियाँ 1993-94 से वर्ष 1997-1998 तक पृथक पृथक
2.	नेहरू रोजगार योजना निकायों को प्रदाय निर्माण कार्य प्रशासकीय स्वीकृति नस्तियाँ	वर्ष 1993-94 से वर्ष 1997-98 तक पृथक प्रथक
3.	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना शहरी स्वरोजगार एवं महिला एवं बच्चों का विकास कार्यक्रम अन्तर्गत बैंकों को प्रदाय अनुदान राशि की नस्तियाँ	वर्ष 1997-98 से 2004-05 तक पृथक प्रथक वर्षवार
4.	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना प्रशिक्षण अन्तर्गत स्वीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रमों की निकायवार एवं वर्षवार नस्तियाँ ।	वर्ष 1997-98 से वर्ष 2004-05 तक पृथक पृथक वर्षवार
5.	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना बचत साख समूहों को रिवाल्विंग फण्ड का प्रदाय अन्तर्गत समूहों को प्रदाय राशि की समूहवार एवं वर्षवार नस्तियाँ ।	वर्ष 1997-98 से वर्ष 2004-05 तक पृथक पृथक वर्षवार
6.	राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण कार्य हेतु नगर पालिकाओं को प्रदाय आवंटन एवं प्रशासकीय स्वीकृति की नस्तियाँ	वर्ष 1996-97 से वर्ष 2004-05 तक निकायवार एवं वर्षवार
7.	घोषित अयोध्या बस्तियों की नस्ती समस्त निकाय	वर्ष 2005

(21)

शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश परिपत्रों का विवरण(गंदी बस्ती योजना) एवं स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना परिपत्र

अ.क्र.	परिपत्र का विषय	परिपत्र क्रमांक व दिनांक
1	2	3
1.	जिला शहरी विकास अभिकरण,के माध्यम से पर्यावरण सुधार योजना क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण	पत्र क्रमांक 92 दिनांक 16-6-1995
2.	गंदी बस्ती क्षेत्रों में पर्यावरण सुधार योजना का क्रियान्वयन एवं निर्देश	पत्र क्रं. 2499 दिनांक 28-11-1995
3.	राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम मद अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता के संबंध में भारत सरकार से प्राप्त गाईड लाईन	पत्र क्रं.2884 दिनांक 16-12-1997
4.	सूचना शिक्षा संप्रेषण घटक अन्तर्गत प्रशिक्षण	पत्र क्रं. 185 दिनांक 22-01-1998
5.	राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम मद अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता के संबंध में भारत सरकार से प्राप्त गाईड लाईन	पत्र क्रं. 208 दिनांक 24-01-1998
6.	अधोसंरचनात्मक सहायता मद से व्यय निर्देश	पत्र क्रं. 6345 दिनांक 28-04-1998
7.	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम ओर इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में महिला और बाल विकास कार्यक्रम में अनुदान बाबत	पत्र क्रं. 1745 दिनांक 1-08-1998
8.	सामुदायिक विकास समिति के गठन संबंधी दिशा निर्देश	पत्र क्रं.1965 दिनांक 18-8-1998
9.	स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार योजना में प्रचार-प्रसार हेतु उधमिता जागरूकता शिविर	पत्र क्रं. 1074 दिनांक 31-8-1998
10.	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजनान्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश	पत्र क्रं. 2135 दिनांक 3-9-1998
11.	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजनान्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश	पत्र क्रं. 2269 दिनांक 14-9-1998

12.	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना गार्डर्ड लाईन	पत्र क्रं. 19 दिनांक 15-9-1998
13.	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजनान्तर्गत प्रशिक्षण	पत्र क्रं. 2660 दिनांक 7-10-1998
14.	राष्ट्रीय गंदी बस्ती प्रक्रिया का सरलीकरण	पत्र क्रं. 46 दिनांक 21-10-1998
15.	लघु उधमों के उत्पादन बेचने और सेवा केन्द्रों की स्थापना	पत्र क्रं. 2636 दिनांक 6-11-1998
16.	स्वर्ण जयंती शहरी एवं राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास योजना अन्तर्गत सामुदायिक समिति द्वारा संचालित गतिविधियों संबंधी	पत्र क्रं. 4572 दिनांक 9-2-1999
17.	निर्माण कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने के संबंध में	पत्र क्रं. 6190 दिनांक 02-4-1999
18.	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना ओर राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास योजना के तहत प्रदर्शन पट लगाने के संबंध में	पत्र क्रं. 6205 दिनांक 22-4-1999
19.	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजनान्तर्गत सामुदायिक विकास समिति और पड़ौसी समिति के संबंध में	पत्र क्रं. 6238 दिनांक 22-4-1999
20.	राष्ट्रीय गंदी बस्ती अन्तर्गत सुलभ शौचालय का निर्माण	क्रं. 9-23/99/18-4 दिनांक 09-05-1999
21.	महिलाओं एवं बच्चों का विकास कार्यक्रम के तहत समूहों का गठन	पत्र क्रं. 6468 दिनांक 17-5-1999
22.	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के क्रियान्वयन में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी	पत्र क्रं. 7437 दिनांक 24-7-1999
23.	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम स्वच्छता संबंधी	पत्र क्रं. 7490 दिनांक 28-7-1999
24.	राजीव गाँधी स्वच्छता मिशन के अन्तर्गत स्वच्छता से जुड़ी गतिविधियों के लिये योजना बनाने बाबत	पत्र क्रं. 7484 दिनांक 4-8-1999
25.	राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम अन्तर्गत राशि आवंटन के उपयोग के संबंध में	पत्र क्रं. 13666 दिनांक 4-9-1999
26.	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के प्रचार-प्रसार के लिये उधमिता जागरूकता शिविरों का आयोजन बाबत	पत्र क्रं. 7896 दिनांक 30-9-1999
27.	राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम अन्तर्गत आवंटित राशि के संबंध में दिशा निर्देश	क्रं. 19873 दिनांक 08-12-1999
28.	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के रिजर्व बैंक के निर्देश	पत्र क्रं 2959 दिनांक 24-12-1999

29.	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के निर्देश	पत्रक 21/9/97
30..	राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम अन्तर्गत आवंटित राशि का 10 प्रतिशत सामाजिक गतिविधियों में उपयोग बाबत	पत्र कं. 20460 दिनांक 29-12-1999
31.	सूचना शिक्षा सम्प्रेषण मद से व्यय करने के संबंध में	पत्र कं. 5156 दिनांक 15-2-2000
32.	राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति / जन जाति को सुविधा बाबत	पत्र कं. 7690 दिनांक 21-3-2000
33.	शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की अनुशंसायें	पत्र कं. 8859 दिनांक 10-4-2000
34.	शहरी वाल श्रमिकों के परिवार को स्वरोजगार कार्यक्रम में नियोजित करने के संबंध में	पत्र कं. 9122 दिनांक 17-4-2000
35.	प्रदेश में वाणिज्य बैंकों की घटती जमा अनुपात	पत्र कं. 17903 दिनांक 29-4-2000
36.	समूह बीमा योजना के क्रियान्वयन बाबत	पत्र कं. 18190 दिनांक 2-8-2000
37.	स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम मजदूरी रोजगार कार्यक्रम महिला और बच्चों का विकास कार्यक्रम	पत्र कं. 1263 दिनांक 9-8-2000
38.	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार के अन्तर्गत शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम के क्रियान्वयन योजना स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले बैंक को प्रशंसा पत्र	पत्र कं. 1619 दिनांक 23-1-2001
39.	नगरीय निकाय स्तर पर टास्क फोर्स के कार्य	पत्र कं. 2118 दिनांक 25-1-2001
40.	रोजगार मूलक योजनाओं के प्रचार प्रसार करने के संबंध में	पत्र कं. 3189 दिनांक 14-2-2001
41.	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का विकेन्द्रीकरण	पत्र कं.3788 दिनांक 27-2-2001
42.	शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम के तहत चुनी हुई नगर पंचायतों के सभी शहरी गरीबों को रोजगार देने के संबंध में	पत्र कं. 2846 दिनांक 5-3-2001
43.	प्रशिक्षण कार्यक्रम में शैक्षणिक योग्यता कम करने बाबत	पत्र कं. 5346 दिनांक 23-3-2001
44.	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत सामुदायिक संगठन,कार्यक्रम के संबंध में	पत्र कं. 9434 दिनांक 15-6-2001
45.	शहरी गरीबों की सर्वे सूची में नाम जोड़ने एवं निरस्त करने के संबंध में	पत्र कं. 75066 दिनांक 26-9-2001
46.	शहरी विकास अभिकरण का गठन संबंधी निर्देश	“ “ “

47.	राज्य जनसंख्या नीति विकास मुद्रा महिला सशक्तिकरण	पत्र क्रं. 3617 दिनांक 9-11-2001
48.	राष्ट्रीय गंदी बस्ती अन्तर्गत आश्रय उन्नयन राशि राज्य स्तर पर सुरक्षित रखने के संबंध में	पत्र क्रं. 21137 दिनांक 22-11-2002
49.	सफाई कामगारों के पुर्नवास स्वरोजगार की व्यवस्था करने के संबंध में	पत्र क्रं. 692 दिनांक 27-12-2002
50.	शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम में 11 अ अनुसूचित जाति 11 ब अनुसूचित जन जाति के संबंध में	पत्र क्रं. 491 दिनांक 6-1-2003
51.	बचत एवं साख समूहों को आवर्ती निधि का आवंटन	पत्र क्रं. 3649 दिनांक 26-2-2003
52.	रोजगार मूलक योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में	पत्र क्रं. 6142 दिनांक 22-4-2003
53.	भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश	पत्र क्रं. 8520 दिनांक 24-5-2003
54.	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की धीमी प्रगति के संबंध में	पत्र क्रं. 426 दिनांक 24-6-2003
55.	सामुदायिक संगठक, मद से उपयोग संबंधी	पत्र क्रं. 3590 दिनांक 27-8-2003
56.	निःशक्तजनों के लिये बाधारहित बातावरण का निर्माण बाबत	पत्र क्रं. 4162 दिनांक 7-11-2003
57.	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना एकछत के नीचे कार्यक्रम संबंधी	पत्र क्रं. 2401 दिनांक 16-6-2004
58.	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना में सामुदायिक कार्यक्रम में आवंटन	पत्र क्रं. 8897 दिनांक 17-6-2004
59.	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के सामुदायिक कार्यक्रम के आवंटन के उपयोग के संबंध में	पत्र क्रं. 8898 दिनांक 17-6-2004
60.	रिजर्व बैंक आफ इंडिया शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता दिशा निर्देश	पत्र क्रं. 15085 दिनांक 29-6-2004
61.	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना में महिलाओं को लाभांवित बाबत	पत्र क्रं. 13294 दिनांक 27-8-2004
62.	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना में विकलाग हितग्राहियों को लाभांवित बाबत	पत्र क्रं. 13296 दिनांक 27-8-2004
63.	राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम अन्तर्गत राशि आवंटन के उपयोग के संबंध में	पत्र क्रमांक 13666 दिनांक 04-09-2004
64.	अयोध्या बस्ती में उपयोग बाबत	पत्र क्रं. 131 दिनांक 06-01-2005